

राजस्थान सरकार
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला-बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. जामा पुत्री अहमद पत्नी सुलेमान 2. मिरियम पुत्री महमद पत्नी अस्तुला फौत के कायम मुकाम 2/1 मुमताज पुत्र अस्तुला जातियान मुसलमान निवासीगण बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. कलीमुला पुत्र उस्मान 2. जियाउल हक पुत्र कलीमुला 3. माकमदीन पुत्र कलीमुला 4. सदाम हुसैन कलीमुला जातियान मुसलमान निवासीगण बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 203 / 2025

01/07/25 प्रार्थी जामा पुत्री अहमद पत्नी सुलेमान जाति मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. सारला के नया खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 429 रकबा 8-8707 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।


स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के तहसील सेड़वा के मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. सारला के नया खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 429 रकबा 8-8707 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहर्कॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करें। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 18/08/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

24/07/25 प्राक्की पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
चूंकि मूलवाद को विद्वे किया जा चुका है तो इस आवेदन
को भंगे चलाते का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस
आवेदन की करिबर्ह इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।
प्राक्की फैसल शमार होकर दाखिल हपतर हो।
संख्या से एक हीकर मूलवाद के संबन्ध हो।

01/07/25



24/07/25
(वकीलवाकी)